राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (जे–405)/अलेसे–I/ 954 दिनांक :– 18.01.2019

अतिरिक्त निदेशक,
स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,
जोधपुर।

विषयः– श्री जगदीश चन्द्र व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। के 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान के क्रम में।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक 4576 दिनांक 30.08.2017, 6571 दिनांक 15.12.2017 एवं 643 दिनांक 05.12.2018 एवं इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र क्रमांक 944 दिनांक 17.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के क्रम में इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक 944 दिनांक 17.01.2019 को निरस्त करते हुए पुनः संशोधित किया जाता है। श्री जगदीश चन्द्र व्यास, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। द्वारा अन्य अवकाश अवशेष रहते हुए दिनांक 21.08.1993 का एक दिन का असाधारण अवकाश स्वीकृत कराकर एक अतिरिक्त वेतन वृद्वि का लाभ लिया था, जिसके क्रम में मार्गदर्शन चाहा गया था। आपके पत्रों के क्रम में प्रकरण पर वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 20(1)एफडी (ग्रुप–2)/ 92–पार्ट–iv दिनांक 16.02.1995 के संदर्भ में वेतन स्थिरीकरण/चयनित वेतनमान की समीक्षा किये जाने के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया।

श्री जगदीश चन्द्र व्यास एवं समान प्रकार के अन्य प्रकरणों के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहे जाने पर वित्त विभाग ने सक्षम स्तर से अपने अनुमोदन आईडी क्रमांक 251800816 दिनांक 05.12.2018 द्वारा निर्देशित किया है किः–

"श्री जगदीश चन्द्र व्यास के प्रकरण के तथ्यों के अनुसार वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 16.02.1995 को दिनांक 25.01.1992 से पूववर्ती दिनांक से लागू किये जाने के कारण कई न्यायिक विवाद उत्पन्न हो रहे है। जिनमें कर्मचारी को असाधारण अवकाश के स्थान पर अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने के आदेशों को माननीय न्यायालय द्वारा निष्प्रभावी किया गया है। इस स्थिति को देखते हुए वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 16.02.1995 को पूर्ववर्ती दिनांक से लागू किये जाने के स्थान पर दिनांक 16.02.1995 से लागू किये जाने तथा दिनांक 25.01.1992 से 15.02.1995 तक जिन कर्मचारियों को अन्य अवकाश देय होते हुए भी असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया उन प्रकरणों की समीक्षा नहीं किये जाने बाबत् निर्णय लिया गया है।"

अतः वित (नियम) विभाग के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

क्रमांकः– एफ. 2 (क) (जे–405)/अलेसे–I/ 954 दिनांक :– 18.01.2019

प्रतिलिपिः– उपनिदेशक (एसीपी) निदेशालय की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)